

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/6502

दिनांक :- 06.01.2021

आदेश संख्या:- 274/2020-21

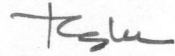
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-13 में स्वीकृत की जाती है।

क.सं	नाम(सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जीवन राम चौधरी (4589)	74/90	21.06.1993	21.06.2020	विभागीय आदेश सं. 5363 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा दिनांक 02.04.2014 से 15.06.2018 तक की निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना गया है।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

दिनांक :- 06.01.2021

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/6502

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)